

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 01/2023-24

बेचन महतो.....आवेदक।

बनाम

दिलो महतो.....विपक्षी।

आदेश

06.10.2023

यह रे0मि0 रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0-07/2022-23 में पारित आदेश दिनांक-02.09.2022 के विरुद्ध में दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उल्लेखित मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :-

मौजा एकसिंघा के परती कदीम दाग सं0-163 में 02 कट्टा 10 धूर जमीन आवेदक एवं उनके भाई भोला महतो के नाम से जमीन की बन्दोबस्ती दिनांक-21.05.93 को प्रधान द्वारा पट्टा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आवेदक के भाई भोला महतो को मौजा गोविन्दपुर के उगन राउत के द्वारा रजिस्ट्री डीड के माध्यम से वर्ष 1998 को दत्तक पुत्र लिया गया, तत्पश्चात् नाम बदल कर भोला राउत हो गया और वह उगन राउत के वंशज एवं मौजा गोविन्दपुर का रैयत बने। आवेदक द्वारा प्रश्नगत बन्दोबस्ती पट्टा का सम्पुष्टि एवं सीमांकन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया जिसमें आवेदक के साथ-साथ विपक्षी दिलो महतो पिता-भोला महतो उर्फ राम राउत के नाम से बन्दोबस्ती को सम्पुष्ट किया गया है, उक्त पारित आदेश के विरुद्ध यह रिवीजन वाद दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :-

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी के पिता भोला महतो उर्फ राम राउत को मौजा गोविन्दपुर के उगन राउत, पिता-हरचरण राउत के द्वारा दत्तक डीड सं0-03/1948 के माध्यम से दत्तक पुत्र लिया गया है। तत्पश्चात् वह उगन राउत का उत्तराधिकारी एवं वंशज बने तथा उक्त मौजा गोविन्दपुर का रैयत बने। दत्तक पुत्र लिए जाने के पश्चात् वह मौजा एकसिंघा का जमाबंदी रैयत नहीं रह जाता है। संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-28 के अनुसार उन्हें मौजा एकसिंघा में जमीन बन्दोबस्ती नहीं किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित किया गया है कि बन्दोबस्ती प्राप्ति के लिए मौजा का जमाबंदी रैयत का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के साथ पट्टा बन्दोबस्ती को

सम्पुष्ट किया जाना नियम संगत नहीं है। अतः रिवीजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :-

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी के पिता एवं आवेदक दोनों सहोदर भाई हैं। विपक्षी प्रश्नगत जमीन पर मकान बना कर निवास कर रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पट्टा बन्दोबस्ती को सम्पुष्ट किया गया है, जो सही है। अतः आवेदक के आवेदन को खारीज किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :-

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर उल्लेख है कि मौजा एकसिंघा नं०-07 के अनावादी खाता नं०-34 के अन्तर्गत दाग सं०-163 कुल रकवा 01.44 एकड़ किस्म भूमि परती कदीम में से आंशिक रकवा 02 कट्टा 10 धूर जमीन भूतपूर्व ग्राम प्रधान स्व० हकेश्वर राउत के द्वारा भोला महतो वो बैचन महतो एकसिंघा के नाम से प्रधानी पट्टा सम्पुष्ट करने का अनुशंसा किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, सरैयाहाट के प्रतिवेदन को आदेश का अंश मानते हुए आवेदन को स्वीकृत किया गया है।

प्रावधान

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-27 एवं 28 में परती कदीम के संबंध में नियम एवं दिशा निर्देश का उल्लेख है जो निम्न प्रकार है :-

Sec-27. Settlement of waste land to be made by patta in prescribed form Settlement of waste land shall be made by a patta or amalnama in the prescribed form. The patta or amalnama shall be prepared in quadruplicate, one copy shall be given to the raiyat concerned, one copy shall be sent to the landlord and the fourth shall be retained by the village headman or mulraiyat, as the case may be.

Sec-28- Principles to be followed in settling waste land or vacant holdings-In making settlement of waste land or vacant holdings principles recorded in the record-of-rights,-



- (a) Fair and equitable distribution of land according to the requirements of each raiyat and his capacity to reclaim and cultivate
- (b) Any special claim for services rendered to the village community, society or State;
- (c) Contiguity or proximity of the waste land to jamabandi land of the raiyat;
- (d) Provision for landless labourers who are bona fide permanent residents of the village and are recorded for a dwelling house in the village.

निष्कर्ष


उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के पिता भोला महतो एवं आवेदक बेचन महतो दोनो सहोदर भाई हैं। भोला महतो को मौजा गोविन्दपुर के उगन राउत द्वारा दत्तक पुत्र लिए जाने के पश्चात् मौजा गोविन्दपुर का रैयत बन जाता है तथा वर्तमान सर्वे के Time Barred Case No.-535/2021 द्वारा मौजा एकसिंघा के पैतृक जमाबंदी से उनका नाम को हटा दिया गया है। संधाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-28 एवं माननीय उच्च न्यायालय के C.W.J.C 4460 of 90 Dated 11.07.2006 (3)AIR Jhar- R 858 में उद्धृत के अनुसार मौजा के परती कदीम की बन्दोबस्ती जमाबंदी एवं स्थाई निवासी रैयत ही हकदार होते हैं। इस मामले में विपक्षी आवेदक के निजी भतीजा हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वत्व (Title) का मामला बनता है जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकता है।


आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में उक्त वाद में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


 6/10/27
 उपायुक्त,
 दुमका।


 6/10/27
 उपायुक्त,
 दुमका।

138 dated 21-10-23